कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/22827/2016/ 3564   भोपाल, दिनांक 27/10/2021

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं.–3, ई–5 रविशंकर नगर,
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषयः– वन मंडल सतना के परिक्षेत्र सतना के ग्राम सतरी के वन कक्ष क्र. RF- (Old 690) New-776 के रकबा 37.00 हे. वनभूमि चुना–पत्थर खनिज ओपन कास्ट पद्धति से उत्खनन हेतु –आवेदक श्री श्रवण कुमार पाठक, सतना को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र. /6-MPC 036/2019-BHO/ दिनांक 13 / 10 / 2021

––0––

विषयांकित परियोजना के संबंध में आपके द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 13 / 10 / 2021 से निम्न जानकारी चाही गई है :–

- Comments/Clarification of State Govt. for encroachment of forest area in the instant proposal punishable under IFA 1927 and violation of FC Act 1980 .

उपरोक्त चाही गई जानकारी के संबंध में लेख है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 दिनांक 25 / 10 / 1980 से लागू हुआ है। तत्समय इस अधिनियम के संबंध में अधिक स्पष्टता नहीं थी। इस प्रकरण में प्रथम लीज एग्रीमेंट वर्ष 1973 में हुआ था। तत्पश्चात प्रकरण न्यायालय में जाने के कारण इस खदान में कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में निर्णय देने पर वर्ष 1981 में खनिज विभाग द्वारा पुनः लीज स्वीकृत की गई।

तत्समय खनिज अधिकारी जिनके द्वारा यह खदान स्वीकृत की गई, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। साथ ही तत्समय पदस्थ वनमण्डलाधिकारी जिनके द्वारा यह खदान में खनन का कार्य नहीं रोका गया, भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त यह प्रकरण 40 वर्ष पुराना हो चुका है। अतः इस प्रकरण में किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही अब किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

27/10/2021

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्यप्रदेश, भोपाल